

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**

मांग संख्या 45

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	300.00	10.50	310.50	240.00	11.57	251.57	297.49	9.72	307.21	
पूँजी	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	102.51	...	102.51	
<b>जोड़</b>	<b>340.00</b>	<b>10.50</b>	<b>350.50</b>	<b>280.00</b>	<b>11.57</b>	<b>291.57</b>	<b>400.00</b>	<b>9.72</b>	<b>409.72</b>	
1 सचिवालय - आर्थिक सेवाएं मछली पालन	3451	26.00	9.92	35.92	46.40	10.43	56.83	4.50	9.28	13.78
2. समुद्री मछली पालन	2405	134.80	...	134.80	59.10	...	59.10	...	...	...
	3601	0.10	...	0.10	1.50	...	1.50	...	...	...
	3602	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>135.00</b>	<b>...</b>	<b>135.00</b>	<b>60.61</b>	<b>...</b>	<b>60.61</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	
<b>खाद्य भंडारण और भांडागार</b>										
3. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण के अन्य कार्यक्रम										
3.01 चावल मिलों का आधुनिकीकरण	2408	...	0.17	0.17	...	0.23	0.23	...	0.20	0.20
3.02 बागवानी आधारित उद्योग	2408	76.55	0.31	76.86	78.82	0.65	79.47	216.53	0.22	216.75
	4408	38.00	...	38.00	38.00	...	38.00	102.50	...	102.50
	3601	0.30	...	0.30	0.03	...	0.03	4.53	...	4.53
	3602	0.15	...	0.15	0.03	...	0.03	0.04	...	0.04
<b>जोड़</b>	<b>115.00</b>	<b>0.31</b>	<b>115.31</b>	<b>116.88</b>	<b>0.65</b>	<b>117.53</b>	<b>323.60</b>	<b>0.22</b>	<b>323.82</b>	
3.03 दुग्ध आधारित उद्योगों के लिए अनुदान	2408	29.30	...	29.30	28.08	...	28.08	31.87	...	31.87
	3601	0.50	...	0.50	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
	3602	0.20	...	0.20	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़</b>	<b>30.00</b>	<b>...</b>	<b>30.00</b>	<b>28.11</b>	<b>...</b>	<b>28.11</b>	<b>31.90</b>	<b>...</b>	<b>31.90</b>	
3.04 मांस खाद्य उत्पाद आर्डर	2408	...	0.10	0.10	...	0.26	0.26	...	0.02	0.02
<b>जोड़ - खाद्य भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम</b>		<b>145.00</b>	<b>0.58</b>	<b>145.58</b>	<b>144.99</b>	<b>1.14</b>	<b>146.13</b>	<b>355.50</b>	<b>0.44</b>	<b>355.94</b>
4. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	32.00	...	32.00	26.00	...	26.00	39.99	...	39.99
<b>जोड़</b>	<b>4552</b>	<b>2.00</b>	<b>...</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>...</b>	<b>2.00</b>	<b>0.01</b>	<b>...</b>	<b>0.01</b>
<b>कुल जोड़</b>		<b>340.00</b>	<b>10.50</b>	<b>350.50</b>	<b>280.00</b>	<b>11.57</b>	<b>291.57</b>	<b>400.00</b>	<b>9.72</b>	<b>409.72</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>										
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	26.00	...	26.00	46.40	...	46.40	4.50	...	4.50
2. मत्स्य पालन	12405	135.00	...	135.00	60.61	...	60.61	...	...	...
3. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	12408	145.00	...	145.00	144.99	...	144.99	355.50	...	355.50
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	34.00	...	34.00	28.00	...	28.00	40.00	...	40.00
<b>जोड़</b>		<b>340.00</b>	<b>...</b>	<b>340.00</b>	<b>280.00</b>	<b>...</b>	<b>280.00</b>	<b>400.00</b>	<b>...</b>	<b>400.00</b>

1. यह प्रावधान मुख्यतः मंत्रालय के सचिवालय पर होने वाले आयोजना व्यय के लिए है।

2. यह व्यवस्था (i) मेगा खाद्य पार्कों; समन्वित शीतागार श्रृंखलाओं, मूल्यवर्धित केंद्रों, प्रदीपन अवसंरचना सुविधाओं और बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण करने जैसे संघटकों वाली अवसंरचना विकास की स्कीमों, (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन स्थापना/आधुनिकीकरण की स्कीमों, (iii) स्ट्रीट फूड गुणवत्ता सुधार योजना, (iv) मानव संसाधन विकास स्कीमों, (v) गुणवत्ता बीमा स्कीमों, कोड़ीकरण मानकों, अनुसंधान और विकास

तथा अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलापों हेतु अनुदान सहायता एवं अन्य प्रभारों के प्रावधान हेतु और (vi) राज्य नोडल एजेंसियों; कुंडली (हरियाणा) में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ती और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम); भारतीय सस्य प्रौद्योगिकी संस्थान (यह पहले धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र का, तंजावुर, तमिलनाडु, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड और राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड जैसे संघटकों वाली संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की स्कीमों हेतु प्रावधान है।

4. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।